

**पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना**

विषय:—यॉत्रिक कारखाना इज्जतनगर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रेल सेवा में संविदा आधार पर रि-इंगेज(Re-engagement) किए जाने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र दि०-15.10.2024 एवं 31.12.2024 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदन उपरान्त यॉत्रिक कारखाना इज्जतनगर में निम्नलिखित रिक्त पदों पर रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संविदा आधार पर रि-इंगेज(Re-engagement) किए जाने का निर्णय लिया गया है—

S.No	Division/Unit	Department	Category	No.of posts agreed by GM
1	MWS/IZN	Mechanical	Helper/Mech	14
2		Electrical	Helper/Electrical	10

उपरोक्त पदों पर रि-इंगेज हेतु दैनिक पारिश्रमिक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं—

1- रि-इंगेज किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी संरक्षा सम्बन्धी सेवा निवृत्ति योजना/उदारीकृत एक्टिव सेवा निवृत्ति योजना लार्जस के अन्तर्गत रि-इंगेज हेतु स्वीकार्य नहीं होंगे।

2-रि-इंगेज से पूर्व भूतपूर्व कर्मचारी को आवेदित पद हेतु निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण होना होगा।

3-रि-इंगेज से पूर्व आवेदित पद हेतु कर्मचारी की सुयोग्यता/सक्षमता तथा संरक्षा पदों हेतु अधिमान्य मानकों की जाँच /ऑकलन किया जाना आवश्यक होगा।

4- आरआरबी/आरआरसी/नियमित स्टाफ की उपलब्धता या असंतोषजनक प्रदर्शन या स्टाफ की आवश्यकता की कमी आदि पाये जाने पर रि-इंगेज स्टाफ को आरबीई संख्या 96/2024 के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से तुरन्त रि-इंगेजमेंट सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

5-अनुशासन एवं अपील नियम के तहत अनिवार्य सेवा निवृत्त समीक्षाधीन समय से पूर्व सेवा मुक्ति/लार्जस के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी रि-इंगेज हेतु पात्र नहीं होंगे।

6-अनुबन्ध की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मासिक राशि देय होगी जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से मूल पेंशन की कटौती करके निर्धारित की जाएगी। अन्य शब्दों में सेवानिवृत्ति पर प्राप्त रहें वेतन से अधिक नहीं होगा। अनुबन्ध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एचआरए की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7-रि-इंगेज चाहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले 5 वर्षों की एपीआर की समीक्षा की जाएगी एवं केवल उन्हीं कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा जिनकी सभी 5 वर्षों में कम से कम अच्छी ग्रेडिंग रही हो।

8-रि-इंगेज के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी और रि-इंगेज की अधिसूचना की तिथि को आवेदक की आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9-यह योजना निर्देश जारी होने की तिथि 15.10.24 या अगले आदेश तक जो भी पहले हो से 2 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए लागू रहेगी। किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्ति अवधि 1 वर्ष या अगले आदेश तक , जो भी पहले हो रहेगी। हालाँकि रि-इंगेज सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार उसकी नियुक्ति अवधि

को एक वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो आगे बढ़ाया जा सकता है।
10- सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश की अनुमति दी जाएगी। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11-अनुबन्ध की अवधि के दौरान निवास और कार्यस्थल के बीच का आवागमन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जाएगी, जो सेवानिवृत्त के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी। हालाँकि सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें आधिकारिक दौरे पर यात्रा भत्ता टीए/डीए यदि कोई हो दिया जाएगा।

12-रि-इंगेज कर्मचारी को मण्डल यूनिट एवं कंस्ट्रक्शन यूनिट का प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। उसे वित्तीय और डी एंड ए आर अधिकार नहीं दिए जायेंगे और उन्हें कोई सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हालाँकि रि-इंगेज कर्मचारी वित्तीय और अन्य मामलों पर अपने सुझाव नियमित सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को दे सकते हैं।

13-रि-इंगेज हेतु भूतपूर्व कर्मचारी डीएआर/विजलेंस केस से मुक्त होना चाहिए एवं ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी जिनको रि-इंगेज हेतु विचार किया जाना है, की सत्यनिष्ठा की जाँच की जाएगी।

14-रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक-31.12.24 में निहित प्रावधान के अनुसार लेवल-1 से लेवल-9 तक सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को संविदा आधार पर रि-इंगेज किए जाने हेतु विचार किया जाएगा। इसके अलावा एमएसीपी योजना के तहत उच्च वेतन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन स्तर के सम्बन्ध में पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

15-पुर्ननियुक्ति हेतु इच्छुक कर्मचारी/आवेदक तत्कालिक आवश्यक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों सहित कार्यरत अन्तिम वर्ष के पर्यवेक्षक से अपना आवेदन अग्रसरित कराकर डाक के माध्यम से इस कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि दि०-25.03.26 तक जमा कर सकते हैं।

16-इस अधिसूचना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप रेलवे की वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्न-आवेदन पत्र का प्रारूप

मुख्य कार० / प्रबन्धक / कार्मिक / इज्जतनगर

सं०याँ / का / 227 / 1 / पुर्ननियुक्ति / सेवानिवृत्त कर्मचारी दि०-10.03.2026

प्रतिलिपि:- 1-महाप्रबन्धक / का० / गोरखपुर। 2-मु०जन सम्पर्क अधिकारी / गोरखपुर एवं इज्जतनगर-कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें। 3-सभी अधिकारीगण 4-समस्त शाप प्रभारी एवं सभी शाखा प्रभारी। 5-सचिव-एन.ई. रेलवे मेन्स कॉग्रेस एवं अजा/अजजा एसो०कार०इज्जतनगर। 6-नोटिस बोर्ड।

मुख्य कार० / प्रबन्धक / कार्मिक / इज्जतनगर